

भारत के खाद्य सुरक्षा जाल का वसितार

यह एडटिरियल 10/12/2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Expand the food safety net without any more delay" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली कवरेज से संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

1960 के दशक के अंत में शुरू हुई **हरति क्रांति** (Green Revolution) एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारत में खाद्य सुरक्षा (Food Security) की स्थिति को रूपांतरित कर दिया। इसने अगले तीन-चार दशकों में खाद्यानन्न उत्पादन को तीन गुना कर दिया और इसके परिणामस्वरूप देश में खाद्य असुरक्षा और गरीबी दोनों स्तरों में 50% से अधिक की कमी आई। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की गई।

- कम से कम वृद्धि स्तर पर देश 'खाद्य आत्मनिर्भर राष्ट्र' बनने के साराहनीय कार्य में सफल रहा। लेकिन बढ़ते भूमिक्षण, मृदा उत्पन्नता की हानि एवं जल-जमाव, जलवायु परिवर्तन और वैश्वकि आपूर्ति शृंखला में व्यवधान ([रुस-युक्रेन युद्ध के कारण](#)) के साथ कृषक समुदाय को नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, भूजल स्तर में गरिवट समस्या को और बढ़ा रही है।
- इस प्रदीश्य में, खाद्य स्थिरता/संवन्धनीयता को बनाए रखने के लिये भारत को इन मुद्दों पर समारूप से विचार करने की आवश्यकता है।

खाद्य सुरक्षा क्या है?

- **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** के अनुसार, खाद्य सुरक्षा की स्थितितिब बनती है जब सभी लोगों के पास हर समय प्राप्ति, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिये भौतिक एवं आर्थिक पहुँच उपलब्ध होती है ताकि एक सक्रयि एवं स्वस्थ जीवन के लिये उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं खाद्य वरीयताओं की पूरति हो सके।
- खाद्य सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण और निकटता से संबंधित घटक हैं: उपलब्धता (availability), अभिगम्यता (accessibility) और वहनीयता (affordability)।

भारत में खाद्य सुरक्षा के लिये वर्तमान ढाँचा

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान में खाद्य या भोजन के अधिकार (Right To Food) के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 21 में नहित जीवन के मूल अधिकार की व्याख्या में मानवीय गरमि के साथ जीने के अधिकार को नहित माना जा सकता है और इस क्रम में फरि भोजन का अधिकार एवं अन्य मौलिक आवश्यकताएँ भी इसमें शामिल होंगी।
- **बफर स्टॉक:** [यह भारतीय खाद्य नियम \(Food Corporation of India- FCI\)](#) का मुख्य उत्तरदायतिव है कनियूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यानन्न की खरीद करे और वाभिन्न स्थानों पर अवस्थित अपने गोदामों में इन्हें संग्रहीत रखें, जहाँ से आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों को इसकी आपूर्ति की जा सकती है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** PDS के तहत वर्तमान में वितरण के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को गेहूँ, चावल, चीनी और करिसन तेल जैसी पण्य वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है।
 - कृषि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश PDS आउटलेट्स के माध्यम से दाल, खाद्य तेल, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले जैसे बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने वाले पण्य वस्तुओं का वितरण भी करते हैं।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA):** यह खाद्य सुरक्षा के प्रतिवृष्टिकोण में एक आमूलचूल परिवर्तन को इंगति करता है जहाँ अब यह कल्याण (welfare) के बजाय अधिकार-आधारित वृष्टिकोण (rights-based approach) में बदल गया है। NFSA नियन्त्रित माध्यमों से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को दायरे में लेता है:
 - **अंतर्योदय अनन्न योजना:** इसमें नियन्त्रित माध्यमों से ग्रामीण आबादी को दायरे में लिया गया है जो प्रतिविवार प्रतिमाह 35 कलोग्राम खाद्यानन्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
 - **प्राथमिकता वाले परिवार (Priority Households- PHH):** PHH श्रेणी के अंतर्गत शामिल परिवार प्रतिविवार प्रतिमाह 5 कलोग्राम खाद्यानन्न प्राप्त करने के हकदार हैं।

भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **जलवायु परविरतन का संकट:** संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परविरतन, चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ती खाद्य असुरक्षा के प्रमुख कारकों के रूप में देखा है।
 - बढ़ते तापमान, मौसम की परविरतनशीलता, आकरामक फसलें एवं कीट और अधिक लगातार चरम मौसमी घटनाओं का खेती कार्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है और इसने कृषि उपज में कमी से लेकर उपज की पोषण गुणवत्ता में गरिवट और कसिन आय की हानि जैसे सकल परणिम उत्पन्न कर पड़े हैं।
- **कीट और खरपतवार के हमले:** पछिले 15 वर्षों में भारत ने आकरामक कीटों और खरपतवारों के 10 से अधिक हमलों का सामना किया है।
 - फॉल आर्मीवर्म (Fall Armyworm) कीट ने वर्ष 2018 में देश की मक्का की फसल को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मक्का उत्पादन की इस क्षतिके कारण भारत को वर्ष 2019 में मक्का का आयात करना पड़ा।
 - वर्ष 2020 में राजस्थान और गुजरात के कई ज़िले टड़िडियों (locust) के हमले की चेपेट में आए।
- **अस्थरि बाज़ार मूल्य नियंत्रण:** वैश्वीकरण की अवधारणा ने कृषि विवाणजिय को अधिक खुलापन प्रदान किया है, लेकिन यह अधिक स्थरि बाज़ार मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित कर सकने में असमर्थ है।
 - अंतमि वस्तुओं के लिये लाभकारी कीमतों की कमी, संकटग्रस्त बकिरी, उच्च खेती लागत के साथ ही अनुप्रयुक्त बाज़ार मूल्यों का योग खाद्य सुरक्षा के मार्ग में अवरोध की तरह कारबंदी है।
- **जल-जमाव:** अत्यधिक सचिर्वार्ष जल-जमाव का कारण बनती है जो परायः मृदा लवणता (Soil Salinity) की समस्या भी उत्पन्न करती है, क्योंकि जल-जमाव से ग्रस्त मृदा सचिर्वार्ष जल द्वारा आयातित लवणों के निक्षालन (leaching) को बढ़ाती है।
 - जल-जमावरप्रस्त मृदा की उपस्थिति पौधों की वृद्धि में बाधा डालती है और कृषि उत्पादकता को कम करती है।
- **खाद्य प्रबंधन नीतिका अभाव:** भारत में खाद्य सुरक्षा के लिये कठोर प्रबंधन नीतिका अभाव है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्नों के लीकेज एवं डायवर्जन, समावेशन/बहिष्करण तुरटियों, नकली एवं फर्जी राशन कारड और कमज़ोर शक्तिकालीन वितरण एवं सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

जैव ईंधन की ओर ध्यान केंद्रित होना: जैव ईंधन बाज़ार के विकास ने खाद्य फसलों को उगाने के लिये उपयोग की जाने वाली भूमि की मात्रा को कम कर दिया है। इसके साथ ही, जैव ईंधन फसलों की उचिति सचिर्वार्ष के साथ-साथ जैव ईंधन के नियमानुसार के लिये भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जो फर्जी वितरण प्रणाली के लिये अत्यधिक समस्या बनती है।

खाद्य सुरक्षा से संबंधित हाल की सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मर्शिन**
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)**
- **तलिहन, दलहन, पाम औंगल और मक्का पर एकीकृत योजनाएँ (ISOPOM)**
- **eNAM पोर्टल**

आगे की राह

- **आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता देना:** सरकार को गोदामों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, फार्म-टू-फैक्टरी गलियारों और प्रत्यक्षिप्रदधी बाज़ार सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये।
 - कृषि में पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने से अवसंरचना का तेज़ी से विकास होगा।
- **अधिक पारदर्शी खाद्य सुरक्षा उपाय:** भारत सरकार नजीके क्षेत्र में खाद्य स्टॉक वितरण पर अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती है। इसके लिये, नजीके क्षेत्र द्वारा रखे जा सकने वाले भंडार पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे परायः भविष्य में लाभ पर बकिरी के लिये खाद्य भंडार जमा करते हैं।
 - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सटटेबाजों पर 'पोजीशन लिमिट' नियमिति की जा सकती है लेकिन इसके लिये बहुपक्षीय समझौते की आवश्यकता होगी और यह भारत की G20 अध्यक्षता में एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिये।
- **'वन नेशन वन राशन कारड' योजना को सुदृढ़ बनाना:** महामारी के चरम दिनों में परवासी शरमकियों की दुर्दशा ने उजागर किया कि एक सार्वभौमिक PDS की कमी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख बाधा है।
 - खाद्यान्न चाहने वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक राशन कारड जारी करने के माध्यम से 'वन नेशन वन राशन कारड' योजना का संचालन किया जाना चाहिये ताकि देश में कसिन भौगोलिक स्थान पर PDS तक पहुँचा जा सके।
- **सतत कृषिकी ओर:** सतत कृषि प्रदृष्टतायों, जैसे फसल चक्रण, दालों के साथ मिश्रित फसल, जैव उत्पादकों का उपयोग, कीटनाशकों के उपयोग को सीमित करना और एकीकृत कीट प्रबंधन को प्रोत्साहित और प्रचाराति किया जाना चाहिये।
 - सचिर्वार्ष उद्देशयों के लिये जल निकालने हेतु बजिली पर प्राप्त सबसेडी को ड्रपि सचिर्वार्ष तकनीक अपनाने और सौर पैनल स्थापित करने के लिये पुनर्निर्देशित करके ड्रपि सचिर्वार्ष तथा सौर पैनलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **जलवायु-प्रत्यास्थी फसलों को प्रोत्साहन देना:** ऐसी जलवायु-प्रत्यास्थी फसलों (Climate Resilient Crops) के विकास और वितरण के लिये निविश की आवश्यकता है जो तापमान भनिन्ता और वरषा में उत्तर-चढ़ाव को झेल सकें।
 - सरकार को जल-और पोषक तत्व-कुशल फसलों (जैसे मोटे अनाज और दालों) के उत्पादन को वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिये और कसिनों के लिये आकर्षक नयूनतम समर्थन मूल्य एवं इनपुट सबसेडी की घोषणा करनी चाहिये।
- **कृषिकूटनीति:** भारत परोष्योगियों की साझेदारी, सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त अनुसंधान, जलवायु कुशल कृषि को बढ़ावा देने आदि के माध्यम से अफ्रीका और एशिया के अन्य विकासशील देशों को सहायता प्रदान कर सकता है, जिससे भारत 'ग्लोबल साउथ' के एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत के खाद्य सुरक्षा नेट में प्रमुख कमियों को रेखांकित करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण के लिये उपाय प्रस्तावित करें।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वागित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन का एक उद्देश्य देश के चहिनति ज़लियों में स्थायी रूप से क्षेत्र वसितार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धिकरना है। वे फसलें कौन सी हैं? (वर्ष 2010)

- (A) केवल चावल और गेहूँ
- (B) केवल चावल, गेहूँ और दालें
- (C) केवल चावल, गेहूँ, दालें और तिलहन
- (D) चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन और सब्जियाँ

उत्तर: (C)

प्रश्न 2. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के साथ मूल्य सब्सिडी के प्रत्यस्थापन से भारत में सब्सिडी का परावृश्य कैसे बदल सकता है? विचार-विमर्श कीजिये। (वर्ष 2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/expanding-india-food-security-net>